

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर
18/2025

जगदीश सिंह पुत्र हरभानसिंह,
गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

तारीख रजू

16.05.2022

तारीख निर्णय

28-11-2025

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
बनाम

—प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट
उपस्थित :- श्री वृद्धिचंद, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
निर्णय

—अप्रार्थी

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ख०न० 36 रकबा 0.34 है०, ख०न० 37 रकबा 0.42 है०, ख०न० 38 रकबा 0.14 है० ग्राम बाढ विचला तह० गंगापुर सिटी मे स्थित है। प्रार्थी के आधार कार्ड मे प्रार्थी का नाम जगदीश सिंह है तथा राजस्व जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम जगदीश सिंह के स्थान पर जगदीश प्रसाद कर दिया है। दिनांक 13.5.2025 को प्रार्थी ने पटवारी से नाम शुद्धि के लिए कहा तो पटवारी ने मना कर दिया। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख०न० 36 रकबा 0.34 है०, ख०न० 37 रकबा 0.42 है०, ख०न० 38 रकबा 0.14 है० ग्राम बाढ विचला तह० गंगापुर सिटी मे प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद के स्थान पर जगदीश सिंह दर्ज करने का कष्ट करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत् 2071-74 खाता संख्या 21 ग्राम बाढ बिचला फोटोकोपी आधार कार्ड जगदीश सिंह प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से उनके पत्र क्रमांक राजस्व/25/2105 दिनांक 28.10.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का बाढकलों की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख०न० 36 रकबा 0.34 है०, ख०न० 37 रकबा 0.42 है०, ख०न० 38 रकबा 0.14 है० ग्राम बाढ विचला मे जगदीश प्रसाद पुत्र हरभान सिंह हिस्सा पूर्ण जाति

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)



(2)

राजपूत सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बरों पर जगदीश सिंह पुत्र हरभान सिंह व उसके परिवारजन ही खेती करते है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि जगदीश प्रसाद पुत्र हरभान सिंह का सही नाम जगदीश सिंह पुत्र हरभान सिंह है। अतः जगदीश प्रसाद के स्थान पर जगदीश सिंह किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं भूमि ख0न0 36 रकबा 0.34 है0, ख0न0 37 रकबा 0.42 है0, ख0न0 38 रकबा 0.14 है0 ग्राम बाढ विचला की जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 21 में दर्ज नाम जगदीश प्रसाद पुत्र हरभान सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर जगदीश सिंह पुत्र हरभान सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. ग्राम खातेदार दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य-प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-11-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)